

# उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स अनुभाग  
द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार  
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001



Corporate Tax Section  
11<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg, Lucknow-226001  
E-mail - tax@uppcl.org

पत्रांक: /का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2023/

दिनांक 17/06/2023

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

ई-मेल द्वारा

**विषय:- अवकाश नकदीकरण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।**

उपरोक्त विषयक वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को जारी अधिसूचना 31/2023 (संलग्न) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10AA)(ii) के अन्तर्गत गैर सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण की धनराशि में से दी जाने वाली आयकर छूट की सीमा जो कि पूर्व में ₹ 3,00,000/- थी, को बढ़ाकर ₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख मात्र) कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य है:-

1. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी मानी जायेगी।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान किये जाने वाले अवकाश नकदीकरण पर यह नियम लागू होगा।
3. इस अधिसूचना का कोई भी पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective Effect) नहीं होगा।

**संलग्नक:- यथोपरि।**

(श्रवण बब्वर)

उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

पत्रांक: 80 /का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (वित्त)/का०प्र० एवं प्रशा०/(कार्य एवं परियोजना)/(आपरेशन)/(वाणिज्य एवं नियोजन)  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, (पारेषण दक्षिण-पूर्व)/(पारेषण उत्तर-पूर्व)/(पारेषण मध्य)/(पारेषण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण मध्य)/जानपद (पारेषण प्रथम)/जानपद (पारेषण द्वितीय)/संचार एवं नियंत्रण, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, प्रयागराज/ गोरखपुर/लखनऊ/मेरठ/आगरा/झांसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता (ई०आर०पी०), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, (पारेषण दक्षिण-पूर्व)/(पारेषण उत्तर-पूर्व)/(पारेषण मध्य)/(पारेषण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण मध्य), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, प्रयागराज/ गोरखपुर/लखनऊ/मेरठ/आगरा/झांसी।
6. लेखाधिकारी (निधि प्रबन्ध-प्रथम)/(निधि प्रबन्ध-द्वितीय)/ऋण प्रबन्ध/मुख्यालय भुगतान इकाई/आई०यू०टी०, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, 11वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(श्रवण बब्वर)

उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2023

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 2276(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (10AA) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, having regard to the maximum amount receivable by its employees as cash equivalent of leave salary in respect of the period of earned leave at their credit at the time of their retirement, whether superannuation or otherwise, hereby specifies the amount of Rs. 25,00,000 (twenty-five lakhs rupees only) as the limit in relation to employees mentioned in that sub-clause who retire, whether on superannuation or otherwise.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2023.

[Notification No. 31/2023/F. No. 200/3/2023-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

**Explanatory Memorandum :** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.